

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 50/2011

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. भंवरु पुत्र जयराम
2. शेषा पुत्र जयराम
3. बाबू पुत्र जयराम
4. ओमाराम पुत्र जाला
5. नताराम पुत्र जाला
6. मु. गणकी बेवा जाला
जातियान-बावरी, निवासी-बोगासनी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 तारीख रज्ः.28.02.2011


- उपस्थित:-
1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
 2. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रति0।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 29/05/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बर 151 रकबा 3-18 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर खनन कार्य लाईम स्टोन का अवैध रूप से किया जा रहा है। दिनांक 14/02/2011 को खनिज वि0के0 फोरमैन व पटवारी-निम्बोल द्वारा संयुक्त रूप से उपरोक्त आराजी का मौका देखा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) ख.नं. 151 में अवैध रूप से खनिज लाईम स्टोन के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 10मी. X 10मी. X 10मी. तक मिट्टी हटाई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वितिय हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अवैध रूप से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तों (अधिकार) का उल्लंघन किया गया एवं असुरक्षित खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो सकती है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दरतावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नोटिसेज वारते ज०दा० तलब किया गया। प्रति० की ओर से श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा०मि० हैं। वकील प्रति० को दिनांक 25/04/2011 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा का अवसर समाप्त किया जाकर जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।


पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति० ने सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 151 रकबा 10मी. x 10मी. x 10मी. किरम बा०दो० में लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। प्रति० को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति० इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 151 रकबा 10मी. x 10मी. x 10मी. किरम बा०दो० जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति० के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति० को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति० को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा०मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 29/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निम्बोल पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. तहसीलदार, जैतारण | 1. भंवरु पुत्र जयराम |
| लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार | 2. शेषा पुत्र जयराम |
| तहसील-जैतारण, जिला-पाली | 3. बाबू पुत्र जयराम |
| | 4. ओमाराम पुत्र जाला |
| | 5. नताराम पुत्र जाला |
| | 6. मु. गणकी बेवा जाला |
| | जातियान-बावरी,निवासी-बोगासनी |
| | तहसील-जैतारण, जिला-पाली |

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत

मु0न0 :रा0वा0 स0: 50/2011

धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुब्दई व श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-बोगासनी, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) के ख.नं. 151 रकबा 10मी. x 10मी. x 10मी. किरम बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रति0 को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/05/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।